

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा

वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर- 302005

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 10061 / 3736

दिनांक :- 16/7/19

कार्यालय आदेश

श्री /श्रीमती / सुश्री **मोहित कटारा** [लिंक न. 10061] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, अजमेर - [954] को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अंतर्गत असाधारण अवकाश (अवैतनिक) स्वीकृत किया जाता है।

दिनांक 11/02/2019 से 15/02/2019 तक 5 दिवस
दिनांक 26/12/2018 से 28/12/2018 तक 3 दिवस
दिनांक 14/01/2019 से 31/01/2019 तक 18 दिवस

कुल 26 दिवस

उक्त कुल 26 दिवस का असाधारण अवकाश (अवैतनिक) का इन्द्राज श्री /श्रीमती / सुश्री **मोहित कटारा** की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावे।


(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 10061 / 3736

दिनांक :- 16/7/19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, अजमेर
2. कोषाधिकारी अजमेर
3. श्री /श्रीमती / सुश्री **मोहित कटारा** [10061] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, अजमेर
4. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक
5. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली


(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक III)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा

वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर- 302005

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 10238/3737

दिनांक :- 16/07/19

कार्यालय आदेश

श्री/श्रीमती / सुश्री निर्मला कुमारी रिणवा [लिंक न. 10238] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय कोषाधिकारी (ग्रामीण), कोष एवं लेखा विभाग, उदयपुर - [31234] को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अंतर्गत असाधारण अवकाश (अवैतनिक) स्वीकृत किया जाता है।

दिनांक 26/09/2018 से 27/09/2018 तक 2 दिवस

कुल 2 दिवस

उक्त कुल 2 दिवस का असाधारण अवकाश (अवैतनिक) का इन्द्राज श्री/श्रीमती / सुश्री निर्मला कुमारी रिणवा की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावे।


(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 10238/3737

दिनांक :- 16/07/19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. कोषाधिकारी (ग्रामीण), कोष एवं लेखा विभाग, उदयपुर
2. कोषाधिकारी उदयपुर
3. श्री/श्रीमती / सुश्री निर्मला कुमारी रिणवा [10238] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय कोषाधिकारी (ग्रामीण), कोष एवं लेखा विभाग, उदयपुर
4. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक
5. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली


(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक III)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा

वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर- 302005

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 12507/3738

दिनांक :- 16/7/19

कार्यालय आदेश

श्री /श्रीमती / सुश्री मुन्नी देवी मीणा [लिंक न. 12507] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय ब्लॉक संदर्भ केन्द्र सर्व शिक्षा अभियान, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद (एक्स काडर), जमवारामगढ़, जयपुर - [1000386] को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अंतर्गत असाधारण अवकाश (अवैतनिक) स्वीकृत किया जाता है।

दिनांक 30/01/2019 से 09/02/2019 तक 11 दिवस (चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर)

दिनांक 15/01/2019 से 26/01/2019 तक 12 दिवस (चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर)

कुल 23 दिवस

उक्त कुल 23 दिवस का असाधारण अवकाश (अवैतनिक) का इन्द्राज श्री /श्रीमती / सुश्री मुन्नी देवी मीणा की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावे।

(मुकुन्द सोहोनी)

निदेशक

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 12507/3738

दिनांक :- 16/7/19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. ब्लॉक संदर्भ केन्द्र सर्व शिक्षा अभियान, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद (एक्स काडर), जमवारामगढ़, जयपुर
2. कोषाधिकारी जयपुर
3. श्री /श्रीमती / सुश्री मुन्नी देवी मीणा [12507] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय ब्लॉक संदर्भ केन्द्र सर्व शिक्षा अभियान, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद (एक्स काडर), जमवारामगढ़, जयपुर
4. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक
5. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली

(शिल्पी कौशिक)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक III)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा

वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर- 302005

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 10355 / 3739

दिनांक :- 16/7/18

कार्यालय आदेश

श्री /श्रीमती / सुश्री महेश डामोर [लिंक न. 10355] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय उप कोषाधिकारी, कोष एवं लेखा विभाग, परतापुर, बांसवाड़ा - [12959] को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अंतर्गत असाधारण अवकाश (अवैतनिक) स्वीकृत किया जाता है।

दिनांक 24/08/2018 से 17/09/2018 तक 25 दिवस (चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर)

कुल 25 दिवस

उक्त कुल 25 दिवस का असाधारण अवकाश (अवैतनिक) का इन्द्राज श्री /श्रीमती / सुश्री महेश डामोर की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावे।


(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 10355 / 3739

दिनांक :- 16/7/18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. उप कोषाधिकारी, कोष एवं लेखा विभाग, परतापुर, बांसवाड़ा
2. कोषाधिकारी बांसवाड़ा
3. श्री /श्रीमती / सुश्री महेश डामोर [10355] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय उप कोषाधिकारी, कोष एवं लेखा विभाग, परतापुर, बांसवाड़ा
4. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक
5. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली


(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक III)